



UPLK010164952022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 2550 / 2022

सरकार बनाम सोनू तिवारी उर्फ रवीन्द्र कुमार तिवारी

अ0सं0 293 / 2021

धारा-323,504 भा0द0सं0 एवं

धारा 3(1)द, ध व 3(2)5ए एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,

थाना-निगौंहा, लखनऊ ।

02-08-2024

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त सोनू तिवारी उर्फ रवीन्द्र कुमार तिवारी मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323, 504 भा0द0सं0 व धारा 3(1)द, ध व 3(2)5ए एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 05.12.2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ ।



UPLK010164952022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 2550 / 2022

सरकार बनाम सोनू तिवारी उर्फ रवीन्द्र कुमार तिवारी

अ0सं0 293 / 2021

धारा-323,504 भा0द0सं0 एवं

धारा 3(1)द, ध व 3(2)5ए एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,
थाना-निगोंहा, लखनऊ ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त सोनू तिवारी उर्फ रवीन्द्र कुमार तिवारी को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:-

प्रथम: यह कि दिनांक 23.10.2021 व समय 06.00 सायं थाना निगोंहा, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत स्टेशन रोड में आप अभियुक्त सोनू तिवारी उर्फ रवीन्द्र कुमार तिवारी द्वारा वादी मुकदमा अभिषेक रावत को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया, जो भा0द0सं0 की धारा-323 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

द्वितीय: यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त सोनू तिवारी उर्फ रवीन्द्र कुमार तिवारी द्वारा वादी मुकदमा अभिषेक रावत को भद्दी-भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है ।

तृतीय: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त सोनू तिवारी उर्फ रवीन्द्र कुमार तिवारी द्वारा वादी मुकदमा अभिषेक रावत व वादी की मां सुमिता देवी के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा-3(2)va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है ।

चतुर्थ: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्त सोनू तिवारी उर्फ रवीन्द्र कुमार तिवारी द्वारा वादी मुकदमा अभिषेक रावत व वादी की मां सुमिता देवी को अनुसूचित जाति की सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि0 की धारा-3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है ।

पंचमः—यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त सोनू तिवारी उर्फ रवीन्द्र कुमार तिवारी द्वारा वादी मुकदमा अभिषेक रावत व वादी की मां सुमिता देवी को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि० की धारा-3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांक: 02-08-2024
विशेष न्यायाधीश एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6085
अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांक: 02-08-2024
विशेष न्यायाधीश एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6085